भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1175

10 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

शहरी नियोजन के लिए ऊर्ध्वाधर उद्यान

1175 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऊर्जा संरक्षण और सतत भवन संहिता (ईसीएसबीसी) 2024 में ऊर्ध्वाधर उद्यानों को एकीकृत करने के लिए दिशा-निर्देश शामिल हैं, यदि नहीं, तो क्या सरकार नई सरकारी और सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं में ऊर्ध्वाधर उद्यानों को शामिल करने की योजना बना रही है;

(ख) क्या सरकार स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और मेट्रो रेलवे अवसंरचना में ऊर्ध्वाधर उद्यानों को शामिल करने की योजना बना रही है, जिस तरह आयकर विभाग ने अपने कार्यालय में ऊर्ध्वाधर उद्यान स्थापित किए हैं; और

(ग) देश की हरित शहरी नीतियों को सिंगापुर और जापान जैसे देशों में अपनाई जाने वाली वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध कार्यक्रमों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। सरकार राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने शहरी और क्षेत्रीय विकास आयोजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf) जारी किए हैं।

यूआरडीपीएफआई दिशा-निर्देश 2014 के अध्याय 6 "सतत दिशा-निर्देश" में ऊर्जा दक्षता पर पैरा 6.1.2 ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) के आधार पर भवनों के ऊर्जा कुशल डिजाइन के विकास का उल्लेख है, जो ऊर्जा कुशल भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन मानक प्रदान करता है। यह गैर-पारंपरिक ऊर्जा/नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और हरित भवनों को बढ़ावा देने की भी सिफारिश करता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आदर्श भवन निर्माण उप-नियम (एमबीबीएल) 2016 के अध्याय 10 "हरित भवन और स्थिरता" के पैरा 10.2.5 सतत अपशिष्ट प्रबंधन और पैरा 10.2.6 निर्माण सामग्री की स्थिरता में भू-जलवायु परिस्थितियों के आधार पर पर्यावरण अनुकूल और स्थानीय भवन निर्माण सामग्री के उपयोग की सिफारिश की गई है।

*****